

(11)

Goms/2025/1938

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धौद जिला - सीकर

आम प्रकाश भामू बनाम तहसीलदार

किस्म मुकदमा प्रार्थना-पत्र 136 CR Act मु.नं. 500 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा - पत्र
31/10/25	<p>प्रार्थीगण ओम प्रकाश भामू पुत्र पोखर मल भामू प्रभाती देवी पत्नी पोखर मल भामू समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम भैरूपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम को दुरुस्त करने के अनुसार वाके ग्राम भैरूपुरा पटवार हल्का सबलपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के नये खाता सं. 285, 280, 314 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थीगण के नाम की प्रविष्टियां ओमप्रकाश भामू पुत्र पोखराम, प्रभातिदेवी पत्नी पोखरमल दर्ज है, जो कि अशुद्ध है। जबकि प्रार्थीगण के नाम की सही प्रविष्टियां क्रमशः ओम प्रकाश भामू पुत्र पोखर मल भामू, प्रभाती देवी पत्नी पोखर मल भामू है। प्रार्थीगण के नाम से बने दस्तावेजात की प्रस्तुत प्रतियों के अनुसार प्रार्थीगण के नाम की प्रविष्टियां क्रमशः ओम प्रकाश भामू पुत्र पोखर मल भामू, प्रभाती देवी पत्नी पोखर मल भामू अंकित है, जो कि सही है। अतः उक्त वर्णित वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थीगण के नाम की प्रविष्टियां ओमप्रकाश भामू पुत्र पोखराम, प्रभातिदेवी पत्नी पोखरमल के स्थान पर उक्त प्रविष्टियां क्रमशः ओम प्रकाश भामू पुत्र पोखर मल भामू, प्रभाती देवी पत्नी पोखर मल भामू दुरुस्त किया जावें।</p> <p>प्रकरण में प्रार्थीगण के अनुतोष के संबंध में तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांक: भूअ./2025/116 दिनांक 16.10.2025 के द्वारा दुरुस्ती संबंधी रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात प्राप्त हुई। उक्त रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट्स मुताबिक प्रार्थीगण के अनुतोष के अनुसार सही है। प्रार्थना-पत्र अ.धा. 136 एल आर एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावें।</p> <p>अतः प्रार्थीगण का आवेदन तहसीलदार, सीकर ग्रामीण की उक्त रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम भैरूपुरा पटवार हल्का सबलपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के नये खाता सं. 285, 280, 314 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थीगण के नाम की प्रविष्टियां ओमप्रकाश भामू पुत्र पोखराम, प्रभातिदेवी पत्नी पोखरमल के स्थान पर उक्त प्रविष्टियां क्रमशः ओम प्रकाश भामू पुत्र पोखर मल भामू, प्रभाती देवी पत्नी पोखर मल भामू दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदारान/प्रार्थीपक्ष स्वयं जिम्मेदार होंगे। तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांक: भूअ./2025/116 दिनांक 16.10.2025 के द्वारा प्राप्त दुरुस्ती संबंधी रिपोर्ट आदेश का अभिन्न अंग रहेगी। पालनार्थ तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को लिखा जावें।</p> <p>आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p>



उपखण्ड अधिकारी,
 उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
 धौद जिला-सीकर

